प्रेस नोट **दिनांक 02.01.2026**

चर्चित साड़ी चोरी के प्रकरण में फरार चल रहे गैंगस्टर एक्ट में वाँछित 25000/- रुपये (पच्चीस हजार रूपये) के दो इनामिया अपराधी गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के रोकथाम जुर्म जरायम व गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृश राजपूत के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ द्वारा मु0अ0सं0 424/2025 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ में वांछित चल रहे शातिर अपराधीगण हारिस नसीम पुत्र नसीम अहमद तथा नसीम अहमद उर्फ कोठा पुत्र नेसार अहमद व हारिस नसीम पुत्र नसीम अहमद निवासीगण कासिमपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ की गिरफ्तारी हेतु सतत् तलाश पतारसी सुरागरसी करते हुए इलेक्ट्रानिक व धरातलीय माध्यम से सूचना संकलित किया जा रहा था कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वांछित अभियुक्त हारिस नसीम पुत्र नसीम अहमद अपने कासिमपुरा स्थित निवास पर ताला बन्द कर फरार होकर अपने किसी रिश्तेदार के यहां सिवान बिहार प्रान्त में लुक छिप कर रह रहा है। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली नगर से पुलिस की एक टीम को दिनांक 01.01.2026 को सिवान बिहार प्रान्त भेजा गया था जहां मुखबिर खास की सूचना के आधार पर ही तेलहट्टा बाजार सिवान (बिहार) से समय 15.30 बजे वांछित अभियुक्त हारिस नसीम पुत्र नसीम अहमद निवासी कासिमपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के दौरान जानकारी हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित दूसरा वांछित अभियुक्त नसीम अहमद उर्फ कोठा पुत्र नेसार अहमद निवासी कासिमपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ दिनांक 02.01.2026 को वाराणसी से लुक छिप कर मऊ आयेगा कि प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 02.01.2026 को थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ से पुलिस की कई टीमें वांछित अभियुक्त के तलाश में मामूर की गयीं थीं कि मुखबिर की सूचना पर सुबह 08.30 बजे के करीब रेलवे स्टेशन स्थित रामलीला मैदान के पास से अभियुक्त नसीम अहमद उर्फ कोठा को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण नसीम अहमद उर्फ कोठा पुत्र नेसार अहमद व हारिस नसीम पुत्र नसीम अहमद उपरोक्त दोनों की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 08.12.2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मऊ द्वारा प्रत्येक पर पच्चीस पच्चीस हजार रूपये के नगद पुरस्कार की घोषणा की गयी थी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

अफजाल पुत्र स्व. हाजी मोहम्मद इशहाक, निवासी न्याज़ मोहम्मदपुरा, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ की कोतवाली नगर क्षेत्र में 'अफजाल साड़ी सेंटर' के नाम से दुकान है, जहाँ से कई

फर्में संचालित होती हैं। अभियुक्त होजैफा नसीम पिछले कई वर्षों से वादी की दुकान पर सेल्समैन और डिस्पैचिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत था और उस पर गहरा विश्वास किया जाता था। होजैफा ने इस भरोसे का फायदा उठाकर काफी समय से दुकान और उससे संबद्ध फर्मों से कीमती साड़ियाँ चोरी-छिपे निकालनी शुरू कर दी थीं। वह इन साड़ियों को दुकान से बाहर ले जाकर अपने निजी ठिकानों पर जमा करता था। जब इस हेराफेरी और चोरी की जानकारी वादी को हुई, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ पर मु0अ0सं0 45/2025, धारा 303(2) बी0एन0एस0 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त की घटना में चोरी गये करीब 35 लाख रूपये की साड़ियां बरामद की गयीं थी व पुष्ट साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण 1. होजैफा नसीम पुत्र नसीम उर्फ कोठा, निवासी कासिमपुरा, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ, 2. मोहम्मद आमिर पुत्र अब्दुल हई, निवासी नवापुरा, थाना दक्षिण टोला, जनपद मऊ, 3. मोहम्मद उमर पुत्र जकरिया, निवासी हमीनपुरा पश्चिम, थाना दक्षिण टोला, जनपद मऊ, 4. साहब अहमद पुत्र रेयाज अहमद, निवासी डोमनपुरा, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ, 5. नसीम अहमद उर्फ कोठा पुत्र नेसार अहमद, निवासी कासिमपुरा, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ, 6. हारिस पुत्र नसीम अहमद, निवासी कासिमपुरा, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ, एवं 7. कामरान असरफ पुत्र शमशेर, निवासी कासिमपुरा, थाना कोतवाली नगर, जनपद मऊ की संलिप्तता के पुष्टिकारक साक्ष्य पाते हुए आरोपपत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका था।

अभियुक्तगण उपरोक्त का एक संगठित नाजायज चोरों का आपराधिक गिरोह पाकर ही थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ पर मु0अ0सं0 424/2025 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें दो अभियुक्तगण साहब अहमद तथा मोहम्मद आमिर की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी तथा गैंगलीडर पुलिस के दबाव के चलते माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था। अभियुक्तगण नसीम अहमद उर्फ कोठा , हारिस तथा मोहम्मद उमर वांछित चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिनांक 08.12.2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मऊ द्वारा प्रत्येक पर पच्चीस पच्चीस हजार रूपये के नगद पुरस्कार की घोषणा की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. **नसीम अहमद उर्फ कोठा पुत्र नेसार अहमद निवासी कासिमपुरा थाना कोतवाली नगर मऊ उम्र करीब 55 वर्ष**

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 424/25 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 289/25 धारा 3(5), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS थाना कोतवाली मऊ

3. मु0अ0सं0 45/25 धारा 305(a), 317(2) BNS थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 53/24 धारा 9, 51 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 थाना रानीपुर जनपद मऊ

2. हारिस नसीम पुत्र नसीम अहमद निवासी कासिमपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 424/25 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 289/25 धारा 3(5), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS थाना कोतवाली मऊ
3. मु0अ0सं0 95/25 धारा 351(2), 352 BNS थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 45/25 धारा 305(a), 317(2) BNS थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. उ0नि0 सुनील कुमार सरोज थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. म0उ0नि0 सपना थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. का0 अमरेश कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
5. का0 कमलेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. का0 शिवबचन यादव थाना कोतवाली नगर जनपद

यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी धनराशि 10,000 (दस हजार) रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना सरायलखन्सी द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी 10000/- (दस हजार) रुपये पीडित आकाश कुमार पुत्र शिव शंकर निवासी आदेडीहा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की कुल 10,000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना

सरायलखन्सी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. उ0नि0 नयन कुमार बर्नवाल थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
3. का0 आशीष द्विवेदी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
4. म0 का0 शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
5. का0 धर्मेन्द्र पुष्पाकर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

दहेज हत्या से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र के कुशल नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा दिनांक 02.01.2025 को देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर काछीकला व इटौरा डोरीपुर गांव की ओर जाने वाली सर्विस रोड़ के पास से मु0अ0स0 2/26 धारा 85, 80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट से संबंधित अभियुक्त, गोविंदा राजभर पुत्र बदामा राजभर सा0 इटौरा डोरीपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

1. गोविंदा राजभर पुत्र बदामा राजभर सा0 इटौरा डोरीपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 2/26 धारा 85, 80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट

गिरफ्तारकर्ता-

1. उ0नि0 मनीष कुमार थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. हे0का0 नौसाद अहमद थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3. का0 सुधीर यादव थाना कोपागंज जनपद मऊ।

दहेज हत्या से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियो कें विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा दिनांक 02.01.2025 को देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर इन्दरपुर बलिया मोड़ के पास से मु0अ0स0 543/25 धारा 80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट से संबंधित अभियुक्त संजीव कुमार सोनकर पुत्र चन्द्र प्रकाश सोनकर निवासी अतरारी चुंगी थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

1. संजीव कुमार सोनकर पुत्र चन्द्र प्रकाश सोनकर निवासी अतरारी चुंगी थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 543/25 धारा 80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट

गिरफ्तारकर्ता-

1. उ0नि0 रंजय कुमार सिंह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. का0 संजीव सिंह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
3. का0 रोहित सिंह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को न्यायलय उठने तक की सजा एवं ₹1000 के अर्थ दण्ड से हुआ दंण्डित –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय महिला. कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 02.01.2025 को मु0अ0सं0 115/2004 धारा 354 भा.द.वि.थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ में दोषसिद्ध मनोज कुमार गौड़ पुत्र लाल वचन गौड़ निवासी सरया थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायालय

उठने तक की सजा एवं ₹1000 के अर्थ दण्ड दंण्डित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।